I/154490/2023

संख्या– 1163 / XLI-A / 2023–61 / 2022/E-38096

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 15 सितम्बर, 2023

विषयः– नाबार्ड की RIDF-XXVIII योजनान्तर्गत वित्त पोषित विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासनादेश सं. 363/XLI-A/2023-61/2022/E-38096 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा **विभिन्न 09 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों** हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणनों की टी.ए.सी. के उपरांत संस्तुत कुल धनराशि रू. 2307.97 लाख (रू. तेईस करोड़ सात लाख सतानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्यों हेतु नाबार्ड से स्वीकृत कुल धनराशि रू. 1432.24 लाख के कम में प्रथम किश्त के रूप में नाबार्ड द्वारा अवमुक्त 30 प्रतिशत मोबिलाइजेशन धनराशि रू. 429.672 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू. 277.0948 लाख (रू. दो करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार चार सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2– उक्त के कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)–2019/XXVII(I)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं आपके पत्र सं. 4967/नि.प्रा.शि./नाबार्ड (नई परि0)/2023–24 दिनांक 05.09.2023 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2023–24 में नाबार्ड योजना से वित्त पोषित **विभिन्न 09 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों** हेतु गत वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से स्वीकृत/अवमुक्त 30 प्रतिशत मोबिलाईजेशन (धनराशि रू. 429.672) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू. 152.5772 लाख (रू. एक करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ बीस) एवं कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष कुल राज्यांश (रू. 875.73 लाख) में से रू. 560.73 (रू. पांच करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार), इस प्रकार **कुल धनराशि रू. 713.3072 लाख (रू. सात करोड़ तेरह लाख तीस हजार सात सौ बीस मात्र) (संलग्नक–01 के अनुसार)** को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या दिनांक 31.03.2023 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त ड्राइंग/स्ट्रक्चरल डिजाइन, डी.पी.आर को मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय तथा सक्षम तकनीकी स्तर से अनुमोदित कराये जाये। अस्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन पर कोई भी कार्य कदापि न कराया जाय।
3. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site Plan तथा विभिन्न ड्राइंग पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं के स्लेवनज पर सहमति प्राप्त कर ली जाये।
4. कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008

दिनांक 15.12.2008, 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा 426/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
11. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रस्तावित समस्त कार्ययोजना की मृदा परीक्षण/Safe bearing capacity का सत्यापन करा लिया जाएगा।
12. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
14. भवन के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला (Hill Architecture) का प्राविधान किया जाय।
15. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट, सरिया, स्टक्चरल स्टील, एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य करया जाय।
16. आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदे एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृत अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें है।
17. आगणन में दरें एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, दरें शिडयूल आफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से प्राप्त कर उन मदों की दरों को डी.एस.आर./एस.ओ.आर. आदि में प्राविधानित दर विश्लेषण के अनुसार ही दर विश्लेषित कर प्राविधान किया जाय। एन.एस.आई. मदों/बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु शासनादेश सं. 50/XVII(7)/2012 दिनांक 12.04.2012, 152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं शासनादेश संख्या–103/XVII(7)32/2007 TC-1 दिनांक 21.07.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली–2017 (यथासंशोधित) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की

I/154490/2023

जाये।

18. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
19. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
20. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों को सम्बन्धित विभाग से वैट करा लिया जाय।
21. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद आदि की Fee में कोई वृद्वि नहीं होगी।
22. प्रश्नगत निर्माण कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
23. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
24. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
25. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–02–104–98–01 के मानक मद 53–वृहद निर्माण'' के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 24.06.2023 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Raman Ravinath भवदीय,
Date: 15-09-2023 14:43:45
(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 1163 /XLI-A/2023–61/2022/E-38096 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. महाप्रबन्धक/सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रीनगर, पौड़ी।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–01 एव 03, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Shriprakash Tiwari
(श्रीप्रकाश तिवारी)
Date: 15-09-2023 14:50:13
उप सचिव।

I/154490/2023

तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या –1163 /XLI-A/2023–61/2022/E-38096 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 का संलग्नक–01

धनराशि लाख में

क्र सं	परियोजना / कार्य का नाम	टी.ए.सी. से स्वीकृत आगणन की धनराशि	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि	नाबार्ड द्वारा प्रथम किश्त के रूप में विगत वित्तीय वर्ष में जारी धनराशि	विगत वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	उक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल राज्यांश	उक्त योजना हेतु प्राविधानित राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने वाला राज्यांश	निर्माण एजेंसी को अवमुक्त की जाने वाले कुल धनराशि (नाबार्ड से प्राप्त अंश + राज्यांश) कालम (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रा0पा0 नरेन्द्रनगर, में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	270.24	183.37	55.011	**22.011**	86.87	**86.87**	**108.881**
2	रा0पा0 श्रीनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	275.84	152.05	45.615	**12.615**	123.79	**123.79**	**136.405**
3	रा0म0पा0 देहरादून में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	255.00	189.03	56.709	**26.709**	65.97	**65.97**	**92.679**
4	रा0पा0 द्वाराहाट में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	232.27	154.02	46.206	**18.206**	78.25	**78.25**	**96.456**
5	रा0पा0 लोहाघाट में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	188.65	129.84	38.952	**15.952**	58.81	**58.81**	**74.762**
6	रा0पा0 गौचर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	269.10	162.63	48.789	**16.789**	106.47	**34.47**	**51.259**
7	रा0पा0 उत्तरकाशी में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	235.03	160.25	48.075	**19.075**	74.78	**31.78**	**50.855**
8	रा0पा0 काशीपुर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	307.26	168.17	50.451	**13.451**	139.09	**37.09**	**50.541**
9	रा0पा0 नैनीताल में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	274.58	132.88	39.864	**7.7692**	141.70	**43.70**	**51.4692**
	कुल योग	**2307.97**	**1432.24**	**429.672**	**152.5772**	**875.73**	**560.73**	**713.3072**

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।